

333
12/5/17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

करण संख्या 88/2017

शंभु स/0 भुवा मीण
क्रि फुटवाडा माण्डलगढ
जर्बी

बनाम

1. मांजी व/0 मांजीलाल मीण क्रि फुटवाडा
2. उगमा स/0 भुवा मीण क्रि फुटवाडा तह माण्डलगढ
विपक्षीगणको

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक- 16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री शंभु स/0 भुवा मीण क्रि फुटवाडा ने जरिये अभिभाषक श्री संजीव शर्मा एवोकेट ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम श्यामपुरा प0ह0 श्यामपुरा तह0 माण्डलगढ मे आराजीन0 2494/25

किता 1 रकबा 3 बीघा 00 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ से प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071-74 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम श्यामपुरा की आराजी न0 2494/25

रकबा 3 बीघा 00 बिस्वा भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 150 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार, माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

2
माण्डलगढ जिला भीलवाडा